न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2024
जीसीएमएस नंबर :– 2024/118
प्रार्थी :–

इन्द्रसिंह पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी रूपावतों का बेरा सूरसागर, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांकः– 29/8/24.

उपस्थितिः– 1. श्री शंकरसिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थी की और से अन्तर्गत धारा 251– ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है प्रार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 40/2 कुल रकबा 55 बीघा वाके ग्राम दईजर पटवार हल्का माणकलाव, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है, जिसकी जमाबदी सम्वत 2059 से 2062 की खेवट खतौनी संख्या नई व पुरानी 102 में प्रार्थी का नाम सहखातेदारी के रूप में सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड में दर्ज शुदा है। उपरोक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी के पशुओ का बाडा व खेती से सम्बधीत औजार, इंधन व घोडा गाडी रखने हेतु अलग से भू भाग छोडा हुआ है। प्रार्थी की उपरोक्त सहखातेदारी का खेत खसरा नम्बर 40/2 में आने जाने हेतु रिंग रोड के पास सर्विस रोड चलती है। जो भूमि ग्राम बासनी कडवड के खसरा संख्या 112 की सरकारी भूमि है, तथा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 40/2 व पडोस के खसरा संख्या 39 में कटाणी मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन खसरा संख्या 112 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 112 में से संलग्न नजरी नक्शानुसार खसरा संख्या 39 व 40/2 तक आता है, उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी व अन्य सहखातेदार पीढी दर पीढी करते आ रहे है, तथा इसी रास्ते से अपना पशुधन, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, पानी का टेंकर व आना जाना इसी रास्ते से करते आ रहे है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु किसी भी प्रकार का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को दिनांक 02.05.2024 को अपने खेत मे जा रहा था तब अप्रार्थी के नुमाईंदे आये ओर प्रार्थी खेत खसरा संख्या 112 के माठ के कणा पर ही रोक दिया है, और कहा की आप पीढीयों से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हो, लेकिन आज के बाद हम इस रास्ते का उपयोग आपको आने जाने हेतु नही करने देगे, और अप्रार्थी प्रार्थी के साथ लडाई झगडें के लिए उतारू हो गया, तथा प्रार्थी को उसके खेत में जाने नही दिया, अब अप्रार्थी खेत खसरा संख्या 112 के माठ के कणा पर ही रोक दिया, जिससे पैदल

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदमी भी नही आ जा सकता है, इसलिए प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 40/2 में आने जाने से महरूम हो गया है, तथा प्रार्थी बडी संख्या में पशुधन रखता है। इस प्रार्थना पत्र के साथ में नजरी नक्शा लगाया गया है, जिसमें लाल पैन से मार्क भी किये गये है, तथा उक्त नजरी नक्शे को इस प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे, तथा प्रार्थी को उक्त नजरी नक्शे के अनुसार अपने खेत व ढाणी में जाने हेतु करीबन 40 फीट चौडा रास्ता खसरा संख्या 112 में से नजरी नक्शा अनुसार होता हुआ खसरा संख्या 40/2 व 39 की माठ तक दिलवाया जावे, प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की सरकारी कीमत के अनुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार व तत्पर है, प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र आप श्रीमान जी के सेवा में अपने खेत में जाने हेतु रास्ता दिलाने हेतु पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खसरा सं. 112 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 40 फीट चौड़ा रास्ता दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा उक्त रास्ते को रेकर्ड में आदेशानुसार अंकन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज दजिस्टर किया जाकर तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि प्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र शंकर लाल जाति माली साकिन रूपावतों का बेरा, सूरसागर राजस्व ग्राम दईजर जमाबन्दी सवंत् 2059 सेस 2062 खाता संख्या 126 खसरा संख्या 40/2 रकबा 55.00 बीघा के तहत् सह–खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी वर्तमान् में आवागमन् खसरा संख्या 112 राजस्व ग्राम बासनी कड़वड से कर रहा हैं, जो कि वर्तमान् में जमाबन्दी सवंत् 2058–61 के खाता संख्या 01 (राजकीय भूमि का खाता) के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी के खेत से निकटम् दूरी से रास्ता ग्राम दईजर खसरा संख्या 38 स्वीकृत सुदा रास्ता निकलता हैं, जो कि अन्य किसी सार्वजनिक स्वीकृत सुदा रास्ता से नहीं लगता हैं। अतः बासनी कड़वड के खसरा सख्या 66/1 जो मौके पर रिंग रोड़ (सर्विस रोड़ डामर सड़क), हैं, खसरा संख्या 38 से निकटतम हैं। खसरा संख्या 112 राजस्व ग्राम वासनी कड़वड में से गुजर रहा रास्ता जो कि रिंग रोड़ से लगता हैं (डामर सड़क), यह रास्ता सलंग्न नक्शे में बिन्दु ए से बी तक हैं । प्रार्थी को अपने खेत (खसरा सख्या 40/2) में जाने हेतु रास्तें का अन्य कोई विकल्प नहीं हैं । प्रार्थी को वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीक अन्य रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी को आवेदित रास्ता दिये जाने पर राजस्व ग्राम बासनी कड़वड खसरा सख्या 112 में 60 गट्टा लम्बाई अनुसार 6 गट्टा चौडाई के रास्ता का कुल रकबा 0.18 बीघा भूमि बनती हैं। पक्षकार प्रतिकर की रकम देने में सहमत हैं डीएलसी अनुसार 79,079/– प्रतिबीघा 79,079 X 0.18 = 71,171.10 एवं 71,171.10 रूपये की दुगनी राशि रूपये 1,42324.20 (अक्षरे एक लाख बयालीस हजार तीन सौ चौबिस रुपये एवं बीस पैसे) बनती है। मौके पर भूमि की रकम के अलावा अन्य हटाने योग्य कोई खर्चा नहीं है।

बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र को ही अपनी बहस माना। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित की रास्ते की मौका जांच रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड एवं समग्र पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थी के खसरा सं. 40/2 के पूर्व में राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं. 39 व 41 गै. मु. नदी व बासनी करवड़ की सीमा में जो भी पूर्व में लगती है खसरा सं. 112 गै.मु. नदी नाडी है। पश्चिम में खसरा सं. 35 में गै.मु. नहर (नहर विभाग के अधीन) है। उत्तर में खसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

38 गै.मु. मार्ग व खसरा सं. 37 किस्म बा.–3 डोली भूमि है जो कि त्रिभुज आकार में है। खसरा सं. 38 व 37 खसरा सं. 36/1 गै. मु. नदी से घिरा है। दक्षिण में खसरा सं. 40 की शेष भूमि, उसके बाद खसरा सं. 42 व उसके पीछे खसरा सं. 43 गै.मु. बाला दर्ज है। अतः उक्त खसरा 40/2 पूर्ण रूप से जलप्रवाह/जल स्त्रोतो से गिरा होने के कारण पहुंच मार्ग नहीं है तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकिल्पक तौर पर अपने खातेदारी भूमियों में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को वास्तविकता में प्रार्थना–पत्र व सलंग्न रिपोर्ट के नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते की आवश्यकता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत से निकटम् दूरी से रास्ता ग्राम दईजर खसरा संख्या 38 स्वीकृत सुदा रास्ता निकलता हैं, जो कि अन्य किसी सार्वजनिक स्वीकृत सुदा रास्ता से नहीं लगता हैं। अतः बासनी कड़वड के खसरा सख्या 66/1 जो मौके पर रिंग रोड़ (सर्विस रोड़ डामर सड़क), हैं, खसरा संख्या 38 से निकटतम हैं एवं प्रार्थी को वास्तविकता में प्रार्थना–पत्र व सलंग्न रिपोर्ट के नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते की आवश्यकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 के नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ता (खसरा सं. 112) में से होकर गुजरता है जो कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 40/2 में पहूॅचता है उपरोक्त लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने हेतु प्रस्तावित किया जाकर दिया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप (बिना किस्म परिवर्तन के) में अंकन करते हुए लाल स्याही से नक्शे में तरमीम की जावें साथ ही प्रार्थी को आवेदित रास्ता दिये जाने पर राजस्व ग्राम बासनी कड़वड खसरा सख्या 112 में 60 गट्टा लम्बाई अनुसार 6 गट्टा चौडाई के रास्ता का कुल रकबा 0.18 बीघा भूमि बनती हैं। पक्षकार प्रतिकर की रकम देने में सहमत हैं डीएलसी अनुसार 79,079/– प्रतिबीघा 79,079 X 0.18 = 71,171.10 एवं 71,171.10 रूपये की दुगनी राशि रूपये 1,42324.20 (अक्षरे एक लाख बयालीस हजार तीन सौ चौबिस रुपये एवं बीस पैसे) बनती है। उक्त दर्शाया गया रास्ता इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि इसका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे किसी भी प्रकार का जल भराव/जल प्रवाह प्रभावित नहीं हो। यदि स्वीकृत रास्ते का निर्माण इस शर्त पर नहीं होता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। स्वीकृत रास्ते में निर्माण से पूर्व अन्य समस्त आवश्यक विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर ही कार्य चालू किया जाएगा। सलंग्न नजरी नक्शा इस आदेश का भाग समझा जायेगा। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी की जावें।

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 29/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/24
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर